भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1199

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- किसानों की आत्महत्या

1199. श्री अनिल यशवंत देसाईः

डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पिछले पंद्रह वर्षों के दौरान किसानों की आत्महत्या के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं और यदि हां, तो आत्महत्याओं की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों द्वारा ऐसे चरम कदम उठाने के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी आत्महत्याओं के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं:

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कॉरपोरेट की हाल की गतिविधियों के कारण कृषि उपज पर उनक नियंत्रण हो गया है जिससे किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में अकाल मृत्यु और आत्महत्या' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं पर जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट उपलब्ध है। एडीएसआई रिपोर्ट 2020, 2021 और 2022 में किसानों की आत्महत्या के अलग-अलग कारण नहीं बताए गए हैं।

कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। किसानों की समग्र आय और कृषि क्षेत्र

में लाभकारी रिटर्न बढ़ाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
5. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
10. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. एग्रोफोरेस्ट्री
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

उपज का उचित मूल्य दिलाने के एकमात्र उद्देश्य से सरकार ने ई-नाम पोर्टल शुरू किया है। सरकार ने 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1410 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया है। दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक, 1.79 करोड़ किसान और 2.63 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल 11.02 करोड़ मीट्रिक टन और 42.89 करोड़ किस्मों (बांस, पान, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से लगभग 4.01 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है।

सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। धान (सामान्य) के लिए एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। गेहूं के लिए एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

दिनांक 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना प्रारंभ की गई है। किसानों को बाजारों में सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति देने के साथ-साथ छोटे किसानों को संसाधनों को एकत्रित करने, प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने और अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एफपीओ स्थापित किए जा रहे हैं। दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार, नई एफपीओ योजना के तहत लगभग 9,268 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। 4,761 एफपीओ को 254.4 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है। 1,900 एफपीओ को 453.0 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है।

पीएम-आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता एएवाई संरक्षण अभियान) योजना किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है और संकटग्रस्त बिक्री को रोकती है। इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र को मजबूत करना और किसानों को बेहतर मूल्य समर्थन प्रदान करना है। वर्ष 2023-24 के दौरान, 21,35,125.54 मीट्रिक टन तिलहन, दलहन और खोपरा की खरीद की गई, जिसका एमएसपी मूल्य 14,226.46 करोड़ रुपये है और इससे 9,57,336 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, फसल सीजन 2024-25 के दौरान (06.01.2025 तक), 22,98,842.72 मीट्रिक टन तिलहन, दलहन और खोपरा की खरीद की गई है, जिसका एमएसपी मूल्य 14,074.53 करोड़ रुपये है और इससे 9,48,383 किसान लाभान्वित हुए हैं।

*****